OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) and (b) The project report received at the Centre in October, 1986 was returned to the State Government in June, 1987 with comments, among others, to clearly establish the water availability on long term basis. The State Government have not complied with the observations.

**"Forest Clearance to Srisailam Right Branch Canal Scheme"**

964. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Government of India has given Forest Clearance to Srisailam Right Branch Canal (SRBC) Scheme;

(b) is so, the details threof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (DR. SUBRAMANIAN SWAMY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The proposal is under examination with this Ministry.

**महाराष्ट्र में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं**

965. **श्री विश्वास राव रामराव पाटिल:** क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में स्वीकृत बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ लंबित पड़ी हुई महाराष्ट्र की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

**जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाडिया):** (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) सूचना निम्नवत् है :—

| स्वीकृति की स्थिति | परियोजना की प्रकृति | |
|---|---|---|
| | बृहद | मध्यम |
| 1. तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया तथा परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को अन्यों के साथ साथ पर्यावरण तथा/अथवा वन स्वीकृति और राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है। | 12 | 18 |